OFFICE OF THE FIRST APPELLATE AUTHORITY

(Appointed under Right to Information Act, 2005)
The Institute of Company Secretaries of India
ICSI House, C-36, Institutional Area, Sector-62
Noida – 201 309 (U.P.)

Appeal No. 18/2019

IN THE MATTER OF:

Atal Bihari Bhardwaj C-557, Kunta Sadan JDA Colony Paldi Meena Agra Road Jaipur

Appellant

Vs.

Central Public Information Officer
The Institute of Company Secretaries of India
'ICSI House'
22, Institutional Area, Lodi road
New Delhi – 110 003

Respondent

Date of Order: 9th July, 2019

ORDER

- The Appellant has filed first appeal dated 7th June, 2019 (received in this Office on 13th June, 2019) under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 against information provided vide letter Ref. No. RTI 2005/2254(19) dated 21st May, 2019 by the Central Public Information Officer (CPIO) (hereinafter referred to as Respondent) of the Institute of Company Secretaries of India.
- 2. In the appeal, the Appellant has submitted as under:
- 1 बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में लिखा है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की घारा 8 (1)(ज)के अनुसार अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती है" जबिक श्रीमान जी मेरे पूर्व के प्रार्थना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2018 के बिन्दु संख्या 5 एवं 6 जो कि इसी वांक्रित सूचना के समान ही था का उत्तर देते हुए समस्त सूचनायें 204 रूपयें प्राप्त करके प्रदान की थी । यह बिन्दु संख्या 1 भी उसी के अनुरूप समान प्रकृति का है। अतः बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करावे।
- 2 बिन्दु संख्या 2 से 11 तक की सूचना भी प्रार्थी को प्रदान नहीं की गई है जो कि अनुचित है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

Chille

- 3. The query of the Appellant at Sl. No. 1 was as under:
 - 1 दिनांक 01.09.2006 से 15.09.2006 तक राजस्थान के सभी पंजीकृत फैलो कम्पनी सेकेंद्ररीज (FCS) के नाम एवं उनके रजिस्ट्रेशन नम्बर सूचित करे।

The Respondent had informed against query No. 1 as under;

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ञ) के अनुसार अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

- 4. The queries of the Appellant at Sl.No.2 to 4 were as under:
- 2 दिनांक 01.09.2006 से 15.09.2006 तक राजस्थान के उक्त सभी पंजीकृत फैलो कम्पनी सेकेट्ररीज (FCS) द्वारा कम्पनी सेकेट्ररी कोर्स की Practical Training (Internship) करने की दिनांक सूचित करे ।
- उक्त सभी पंजीकृत फैलो कम्पनी सेकंट्ररीज (FCS) ने जिस संस्था/विभाग/कम्पनी/बोर्ड/निगम /सहकारी संस्था / उपकम/ स्वायत्तशासी विभाग से कम्पनी सेकंट्ररी कोर्स की Practical Training (Internship) की है उसका नाम सूचित करे।
- 4 दिनांक 01.09.2006 से 15.09.2006 तक राजस्थान के सभी पंजीकृत फैलो कम्पनी सेकेट्ररीज (FCS) के नाम सूचित करे जिन्होंने कोर्स की Practical Training (Internship) नहीं की है और वे पंजीकृत फैलो कम्पनी सेकेंद्ररी (FCS) भी है।

The Respondent had informed against query Nos. 2, 3 & 4 as under:

अपेक्षित सूचना आपके द्वारा वांछित विषय (content) में उपलब्ध नहीं है, इसलिये सूचना का अधिकार अधिनेयम, 2005 की धारा 2(च) के अनुसार अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

- 5. The query of the Appellant at Sl. No. 5 was as under:
 - 5 सूचित करे उन सभी नियमों को जिनके तहत कम्पनी सेकेंद्ररी कोर्स की Practical Training (Internship) नहीं करने पर भी फैलो कम्पनी सेकेंद्ररीज (FCS) के रूप में उम्मीदवारों का पंजीकरण किया जाता है।

The Respondent had informed against query No. 5 as under:

यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अनुसार अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

- 6. The query of the Appellant at Sl.No. 6 & 7 were as under:
- 6 दिनांक 01.09.2006 से 15.09.2006 तक राजस्थान के उन सभी पंजीकृत फैलो कम्पनी सेकंट्ररीज (FCS) के नाम सूचित करे जिन्होंने कम्पनी सेकंट्ररी कोर्स राज्य सरकार/ सहकारी विभाग/स्वायत्तशासी विभाग में सर्विस करते हुए किया है।
- 7 दिनांक 01.09.2006 से 15.09.2006 तक राजस्थान के उन सभी पंजीकृत फैलो कम्पनी सेकेंद्ररीज (FCS) के नाम सूचित करे जिनको कम्पनी सेकेंद्ररी कोर्स की Practical Training (Internship) करने से छूट (Exemption) प्रदान की है।

The Respondent has informed against query No. 6 & 7 as under :

अपेक्षित सूचना आपके द्वारा वांछित अन्तर्वस्तु में उपलब्ध नहीं है, इसिनये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अनुसार अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

- 7. The query of the Appellant at Sl.No. 8 was as under:
 - 8 समस्त फैलो कम्पनी सेकेट्ररीज (FCS) के नाम सूचित करे जिन्होंने कम्पनी सेकेट्ररी कोर्स की Practical Training (Internship) राजस्थान राज्य सहकारी रिपंनिग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि., (रिपनफेड), नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, भवानी सिंह रोड, जयपुर से की है।

The Respondent had informed against query No. 8 as under : छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'SPINFED' नामक कंपनी ICSI के साथ पंजीकृत नहीं है।

- 8. The query of the Appellant at Sl.No. 9 was as under:
- 9 प्रार्थी द्वारा एक पत्र दिनांक 30.11.2018 को श्री श्री अंकुर यादव, संयुक्त सिवव(सीनीयर ग्रेड)/प्रथम अपीलीय अधिकारी, The Institute of Company Secretaries of India, प्रथम मंजिल, सी-36, सेक्टर-62, नोयडा- 201301 (उत्तर प्रदेश) प्रेषित किया गया था जिस पर आपके विभाग द्वारा पैरावाईज की गई कार्यवाही से सूचित करे एवं संबंधित पत्रावली की छायाप्रति उपलब्ध कराये। (प्रति संलग्न)

The Respondent had informed against query No. 9 as under : यह सूचित किया जाता है कि:

- अपील संख्या 24/2018 को दिनांक 29.10.2018 के आदेश के माध्यम से निस्तारण किया गया।
- सीपीआईओ द्वारा अपेक्षित सूचना को दिनांक 05.11.2018 को अपीलार्थी के पास भेज दिया गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 29.11.2018 को पत्र निरर्थक हो गया है। इसके अलावा, यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित उच्च अपीलीय प्राधिकारियों से संपर्क करने का विकल्प च्न सकता है।

du -

- 9. The Respondent has further informed that there were only 9 queries in the RTI application and no information can be provided to the Appellant against queries at Sl.No. 10 & 11 as no such queries exist.
- 10. The Respondent has further informed against the instant appeal that the contents of the RTI reply dated 21.05,2019 stands as it is.
- 11. This Office has carefully considered the application, the response, the appeal and the records made available and finds that the matter can be decided based on the material available on record.
- 12. This Office concurs with the submissions of the Respondent against queries at Sl.No. 2 to 9.
- 13. The Respondent is directed to send requisite information against query No. 1 within 15 working days from the date of issue of this Order.

The appeal is accordingly disposed of.

(Ankur Yadav) First Appellate Authority

Copy to:

- 1. Mr. Atal Bihari Bhardwaj C-557, Kunta Sadan JDA Colony Paldi Meena Agra Road Jaipur
- 2. Mr. Surya Narayan Mishra
 Central Public Information Officer
 The Institute of Company Secretaries of India
 ICSI House, 22, Institutional Area
 Lodi Road
 New Delhi 110 003
- Directorate of IT For publishing on the website